भारत के राजपत्र - असाधारण के भाग-I खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/28/2025 - डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 29.09.2025

जांच शुरुआत अधिसूचना

(मामला सं. ए डी (ओ आई) 25/2025)

विषय: चीन जन. गण., इंडोनेशिया और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "स्टेनलेस स्टील 300 और 400 सीरिज के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रुप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" के रुप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, इंडियन स्टेनलेस स्टील डवलपमैंट एसोसिएशन (आई एस एस डी ए) (जिसे इसके बाद "आवेदक" अथवा "आवेदक एसोसिएशन" के रुप में कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रुप में कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण., इंडोनेशिया और वियतनाम (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" के रुप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "300 और 400 सीरिज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद" (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" या "पी यू सी" के रुप में कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अंतरिम और पूर्वव्यापी शुल्क लगाए जाने की भी मांग की है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "स्टेनलेस स्टील के कतिपय कोल्ड रोल्ड फेरिटिक, मार्टेंसिटिक और ऑस्टेनिटिक ग्रेड के फ्लैट उत्पाद" हैं। विचाराधीन उत्पाद को सामान्य तौर पर **"300 और 400 सीरिज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद"** के रूप में जाना जाता है। ग्रेड/ विनिर्देश/ रसायन के आधार पर, विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. संरचना के अनुसार न्यूनतम 6 प्रतिशत निकल सामग्री के स्टेनलेस स्टील के सभी **ऑस्टेनिटिक** ग्रेड (जिन्हें सामान्य तौर पर **300 सीरिज** के रूप में संदर्भित किया जाता है, यद्यपि संगत तकनीकी मानक या उद्योग की भाषा के आधार पर अन्य विवरण/ संदर्भ भी हो सकते हैं)

ख. स्टेनलेस स्टील के सभी **फेरिटिक** और **मार्टेंसिटिक** ग्रेड (जिन्हें सामान्य तौर पर **400 सीरिज** के रुप में संदर्भित किया जाता है, यद्यपि संगत तकनीकी मानक या उद्योग की भाषा के आधार पर अन्य विवरण/ संदर्भ भी हो सकते हैं)

4. उपर्युक्त ऑस्टेनिटिक, फेरिटिक और मार्टेंसिटिक ग्रेड में वे सभी स्वामित्व और पेटेंट प्राप्त ग्रेड भी शामिल हैं जो उपर्युक्त विवरण के अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त, कोई भी ग्रेड जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानक का हिस्सा नहीं है, वह भी इस सीमा तक शामिल है कि वह ऊपर निर्दिष्ट फेरिटिक, मार्टेंसिटिक या ऑस्टेनिटिक ग्रेड की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

5. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में उपर्युक्त सभी प्रकार के और सभी टाइप के ग्रेड/

विनिर्देश/ रसायन शामिल हैं, जिनमें वे उत्पाद भी शामिल हैं जिन पर किसी भी प्रकार की कोल्ड रोलिंग के बाद आगे की फिनिशिंग, वर्किंग या प्रसंस्करण किया गया है। इस तरह के परिष्करण कार्य या प्रसंस्करण के सांकेतिक उदाहरण (लेकिन संपूर्ण उदाहरण नहीं है) में एनीलिंग, टेम्परिंग, पिकलिंग, डी-स्केलिंग, स्टैम्पिंग, पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग, मैकेनिकल वर्किंग, कोटिंग, सतह उपचार आदि शामिल हैं।

6. स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों में फ्लैट रोल्ड उत्पाद भी शामिल हैं जिनमें रोलिंग से सीधे प्राप्त उभार वाले पैटर्न हो सकते हैं जैसे ग्रूव, रिब्स, चेकर्स आदि या रोलिंग के बाद उन पर काम किया गया हो सकता है, जैसे छिद्रित, नालीदार आदि।

7. स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और अन्य धातुओं की एक जंग रोधी मिश्र धातु है। विचाराधीन उत्पाद का लेन-देन कई अलग-अलग रूपों में किया जा सकता है, जिनमें कॉयल, स्ट्रिप्स, शीट, प्लेट, सर्कल आदि शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

8. संबद्ध वस्तुओं का लेन-देन कई अलग-अलग फिनिश में किया जा सकता है जैसे मिल फिनिश, पॉलिश्ड फिनिश, ग्राउंड फिनिश या कोई अन्य फिनिश। फिनिश के कुछ सांकेतिक उदाहरणों में (लेकिन संपूर्ण उदाहरण नहीं है) 2बी, 2डी, बीए (ब्राइट एनील्ड), स्कॉच ब्राइट, नंबर 4, नंबर 8, पीवीडी, कलर्ड, मैक्रोमैट आदि हैं। इसके अतिरिक्त, संबद्ध वस्तुओं का लेन-देन विभिन्न एज स्थितियों, जैसे ट्रिम एज और मिल एज या किसी अन्य एज स्थिति में किया जा सकता है। इसका उत्पादन और बिक्री विभिन्न आकारों में बड़ी संख्या में की जाती है। उत्पाद के सभी रूप, आकार, फिनिश, एज स्थितियां और आकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं।

9. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

   क. स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद

   ख. ब्लेड/ रेजर स्टील (जिसे जिंदल ब्लेड स्टील या जे बी एस भी कहा जाता है)

   ग. कॉइन ब्लैंक

   घ. स्टेनलेस स्टील के डुप्लेक्स ग्रेड

ङ. स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों के कोल्ड रोल्ड ऑस्टेनिटिक ग्रेड, जिनमें अधिकतम निकल सामग्री 6% तक होती है (सामान्य तौर पर 200 सीरिज के रूप में संदर्भित, यद्यपि संगत तकनीकी मानक या उद्योग की भाषा के आधार पर अन्य विवरण/ संदर्भ भी हो सकते हैं)। ऐसे ग्रेडों की सांकेतिक, लेकिन यह संपूर्ण नहीं, सूची में JT, JSLU-SD, JSLU-DD, J4, 204Cu, J1, J2, J3, J5, J6, J7, J8, N7, N5, N6, N1, N2, N3, 201 आदि शामिल हैं।

10. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के सीमा शुल्क उप-शीर्ष 7219 और 7220 के अंतर्गत आता है। विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क वर्गीकरण 721990, 721911, 721912, 721913, 721914, 721921, 721922, 721923, 721924, 721931, 721932, 721932, 721932, 721933, 721934, 721935, 721990, 722011, 722012, 722020, 722090। के अंतर्गत भारतीय बाजार में प्रवेश करता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

11. आवेदक ने विभिन्न सीरिज, अर्थात् 300 सीरिज और 400- सीरिज को ध्यान में रखते हुए संगत सूचना प्रदान की है। आवेदक ने स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड उत्पादों के आयातों पर पूर्व जांच (मामला सं.- ए डी - एस एस आर 08/2020, दिनांक 20 जनवरी 2021) में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पी सी एन पद्धति का उल्लेख किया है। उक्त जांच में विचार किए गए पी सी एन नीचे पुन: दिए गए हैं:

क्र. सं.	विवरण	पी सी एन	कोड
1	उत्पाद का प्रकार	कोल्ड रोल्ड कोल्ड रोल्ड एनील्ड और पिकल्ड	1 2
2	उत्पाद का ग्रेड	301 304 304L 309 310/S 316	301 304 304L 309 310S 316

		316/L 405 409 410 410/S 415 420 430 432 436 439 444 446 डुप्लेक्स कोई अन्य विशेष - कृपया निर्दिष्ट करें	316L 405 409 410 410S 415 420 430 432 436 439 444 446 DUP ORS SPC
3	उत्पाद का रूप	कॉयल प्लेट / शीट स्ट्रिप पंच्ड कॉयल सर्कल अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें	1 2 3 4 7 8
4	उत्पाद की चौड़ाई	600 मिमी या उससे अधिक लेकिन 1250 मिमी तक की चौड़ाई 1250 मिमी से अधिक चौड़ाई (गैर-प्रामाणिक उपयोग)	1 2
5	मोटाई	0.5 मिमी से कम मोटाई का 0.5 मिमी और उससे अधिक लेकिन 1.00	1 2 3

		मिमी से कम मोटाई का 1.00 मिमी और उससे अधिक लेकिन 3.00 मिमी से कम मोटाई का 3.00 मिमी और उससे अधिक से 4.00 मिमी तक मोटाई का	4
6	उत्पाद की फिनिश	कोई विशेष फ़िनिश नहीं विशेष फ़िनिश कृपया फ़िनिश अलग कॉलम में दर्शाएं	1 2

12. प्रस्तावित पी यू सी/ पी सी एन के संबंध में टिप्पणियां, यदि कोई हों, इस जांच की शुरुआत होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जा सकती हैं।

ख. समान वस्तु

13. आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तुएं, आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापन योग्य हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तु के उपभोक्ता आयातित संबद्ध वस्तु और आवेदक कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तु का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए, आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को *प्रथम दृष्टया* संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना गया है।

ग. संबद्ध देश

14. वर्तमान जांच के संबद्ध देश चीन जन. गण., इंडोनेशिया और वियतनाम हैं।

घ. जांच की अवधि

15. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (पी ओ आई) अप्रैल 2024 से मार्च 2025 (12 माह) की है। क्षति जांच की अवधि के रुप में वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि को माना गया है।

ङ. घरेलू उद्योग और स्थिति

16. यह आवेदन देश में स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के उत्पादकों की ओर से इंडियन स्टेनलेस स्टील डवलपमैंट एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है। एसोसिएशन के सदस्यों, अर्थात् जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जे एस एल) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) (जिन्हें "आवेदक कंपनियां" भी कहा जाता है) ने आवेदन में अपेक्षित सूचना प्रदान कर दी है।

17. आवेदक ने संगठित क्षेत्र से संबद्ध वस्तुओं के कतिपय घरेलू उत्पादकों की पहचान की है, जिनकी उत्पादन मात्रा अनुमानों के आधार पर प्रदान की गई है। भारत में संबद्ध वस्तुओं के कई अन्य घरेलू उत्पादक भी हैं। यह अवगत कराया गया है कि ऐसे स्टैंडअलोन कोल्ड री-रोलर या प्रोसेसर हैं, जो कच्चा माल, अर्थात् स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद, घरेलू उत्पादकों या विदेशी उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। आवेदक ने असंगठित क्षेत्र/ री-रोलर्स द्वारा उत्पादन का अनुमान आवेदक कंपनियों की बिक्री और स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड उत्पाद बनाने वाले अन्य उत्पादकों की इन री-रोलर्स को अनुमानित बिक्री के साथ-साथ उनके द्वारा किए गए स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों को ध्यान में रखते हुए लगाया है, जिन्हें बाद में स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों में परिवर्तित कर दिया गया है।

18. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदक कंपनियों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। आवेदक कंपनियों ने यह अनुरोध किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न

ही वे संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित हैं।

19. इसके आलोक में, उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार किया गया है और यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

20. घरेलू उद्योग ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का संदर्भ दिया है और उस पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8(3) के अनुसार, उद्योग में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं कि उनकी लागतों और कीमत से संबंधित सूचना बाजार से संचालित है, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए।

21. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमत या बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। घरेलू उद्योग ने जापान से निर्यात के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जिसने भारत में महत्वपूर्ण मात्रा में ग्रेड का आयात किया है और उसका प्रसार किया है। जिन ग्रेड का आयात जापान से नहीं किया गया है, उनके लिए आवेदक द्वारा निकटतम समतुल्य प्रसार हेतु उपलब्ध सूचना में समायोजन करके सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया गया है। जांच शुरू करने के उद्देश्य से चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ को विधिवत समायोजित करने के बाद भारत में उत्पादन की लागत के अनुमानों पर विचार करते हुए, उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर

किया गया है।

ख. वियतनाम और इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य

22. आवेदक ने यह तर्क दिया है कि इंडोनेशिया में निर्यातकों द्वारा उल्लिखित की गई उत्पादन लागत वास्तविक उत्पादन लागत को नहीं दर्शाती क्योंकि यह सरकारी सब्सिडी और बाज़ार हस्तक्षेपों के कारण काफ़ी विकृत है। इंडोनेशिया के संबंध में, आवेदक ने यह भी बताया है कि इस्पात क्षेत्र व्यापक सरकारी हस्तक्षेप के अधीन है और यूरोपीय संघ तथा भारत ने पूर्व में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांचों में स्टेनलेस स्टील उत्पादों के संबंध में सब्सिडी की मौजूदगी को स्थापित किया है। इस प्रकार, इंडोनेशिया में उत्पादकों द्वारा कच्चे माल की लागत को अस्वीकार किया जाना चाहिए या संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री की वास्तविक लागतों को उचित रूप से दर्शाने के लिए उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए। वियतनाम के संबंध में, यह अनुरोध किया गया है कि देश में स्टेनलेस स्टील पिघलने की कोई क्षमता नहीं है और इसलिए, स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के लिए आवश्यक इनपुट वियतनाम में उत्पादित नहीं होता है और इसे चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से प्राप्त किया जाता है। यह अनुरोध किया गया है कि निर्यातकों द्वारा बताई गई लागतें चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से प्राप्त हॉट-रोल्ड स्टेनलेस स्टील इनपुट पर आधारित हैं, जो दोनों ही गैर-बाज़ार स्थितियों और सब्सिडी के कारण विकृत हैं।

23. उपर्युक्त को देखते हुए, आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान जापान के लिए एमईपीएस रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत हॉट-रोल्ड स्टेनलेस स्टील की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर वियतनाम और इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। चूंकि एमईपीएस रिपोर्ट केवल कतिपय ग्रेड (एच आर स्टेनलेस स्टील ग्रेड 430, 316 और 304) के लिए ही कीमत प्रदान करती है, इसलिए इन्हें अन्य ग्रेड की कीमतों का अनुमान लगाने के लिए उपयुक्त रूप से समायोजित किया गया है। इसके बाद, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना, अर्थात् घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर रूपांतरण लागत और उपभोग मानदंडों को लागू करके सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है। उत्पादन की निर्मित लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के लिए समायोजित किया गया है। जांच शुरू करने के उद्देश्य से इंडोनेशिया और

वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें भारत में उत्पादन लागत, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित मूल्य को ध्यान में रखा गया है।

ग. निर्यात कीमत

24. आवेदक ने अपने बाजार आसूचना के अनुसार आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करके संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तथापि, *प्रथम दृष्टया* मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, कारखाना-बाह्य निर्यात कीमत का पता लगाने के लिए लेनदेन-वार डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों को अपनाया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय माल भाड़ा, कमीशन और ऋण लागत के कारण समायोजन किया गया है।

घ. पाटन मार्जिन

25. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्टया* यह पता चलता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम के स्तर से ऊपर है और संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, *प्रथम दृष्टया* पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

26. आवेदक ने प्रत्येक संबद्ध देश से दो उत्पादकों/ निर्यातकों के नमूने लेने का अनुरोध किया है, जिसमें कहा गया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के कई उत्पादक/ निर्यातक मौजूद हैं। उत्पाद की जटिलता और उत्पाद के प्रकारों की बड़ी संख्या होने के कारण, विस्तृत जांच के लिए आंकड़ों की मात्रा काफी महत्वपूर्ण होगी। निर्धारित समय-सीमा के भीतर और नियमावली के नियम 17 के अनुसार, जांच पूरी करने के लिए, प्राधिकारी सैम्पल का सहारा लेंगे, अर्थात चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से मान्य नमूनों का उपयोग करके, अपने जांच परिणामों को हितबद्ध पक्षकारों या वस्तुओं की उचित संख्या तक सीमित रखेंगे या संबद्ध देशों से निर्यात की मात्रा के अधिकतम प्रतिशत तक सीमित रखेंगे।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

27. आवेदक कंपनियों, अर्थात् जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत सूचना पर, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए विचार किया गया है। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही दृष्टियों से वृद्धि हुई है। प्रत्येक संबद्ध देश से और समग्र रूप से कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। यह दावा किया गया है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी हो रही हैं। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि आवेदक के उत्पादन और बिक्री में बढ़ती मांग और क्षमता के साथ वृद्धि हुई है, फिर भी उसने दावा किया है कि पाटित आयातों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण, लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल के मामले में उसका प्रदर्शन ख़राब हुआ है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षति होने की आशंका है।

28. उपर्युक्त से, प्राधिकारी को *प्रथम दृष्टया* संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद प्रतीत होते हैं, जो नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू करने, कथित पाटन की मौजूदगी, परिमाण और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए उचित ठहराते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ज. शुल्कों का पूर्वव्यापी अधिरोपण

29. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि निम्नलिखित कारणों से पूर्वव्यापी प्रभाव से शुल्क लगाया जाना आवश्यक है:

क. भारत में पाटन का इतिहास रहा है, जैसा कि विचाराधीन उत्पाद पर पूर्व में की गई जांच से स्पष्ट है।

ख. आयातक को पाटन के संबंध में सूचना होनी चाहिए थी, क्योंकि विगत जांचों से प्राप्त अनुभवों से यह पता चला था कि पाटन का निर्धारण किस कीमत स्तर पर किया गया था।

ग. अपेक्षाकृत कम अवधि, अर्थात् जांच की अवधि में, काफी पाटन हुआ है। जांच की अवधि में संबद्ध देशों से पाटित आयातों में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान, संबद्ध आयातों में 40% की वृद्धि हुई है।

घ. शुल्क न लगाए जाने से पाटन के उपचारात्मक प्रभाव कम होने की संभावना है।

झ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

30. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्यों के आधार पर, जो पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुष्टि करते हैं, स्वयं को संतुष्ट करते हुए, प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित नियमावली के नियम 5 के अनुसार, कथित पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति की पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटन संबंधी शुल्क की राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ञ. प्रक्रिया

31. वर्तमान जांच में नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना की प्रस्तुति

32. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ईमेल पते jd12-dgtr@gov.in और ad12-

dgtr@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजे जाने चाहिए, साथ ही dir15-dgtr@gov.in, consultant- और dgtr@govcontractor.in पर भी इसकी एक-एक प्रति भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विस्तृत भाग सर्च योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड फार्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सल फार्मेट में हों।

33. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में स्थित अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तुओं से जुड़े ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित की गई समय-सीमा के भीतर सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

34. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप में और निर्धारित तरीके से, इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

35. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

36. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच के संबंध में सूचना और आगे की प्रक्रिया के बारे में अद्यतन और अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

37. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को jd12-dgtr@gov.in, और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए, साथ ही उसकी

एक-एक प्रति dir15-dgtr@gov.in, consultant- और dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सूचना उस तिथि से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदन का अगोपनीय पाठ निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किया जाएगा या निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए आवेदन करने संबंधी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने या निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने जाच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

38. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के संबंध में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित की गई उपरोक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें।

39. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण दर्शाना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

40. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को, नियम 8(2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचनाओं के अनुसार, उसका एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकृत किया जा सकता हैं।

41. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई भी अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुलग्नक सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग प्रस्तुत करने होंगे।

42. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से अंकित किए बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

43. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है और/ या अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, उसके लिए सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

44. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय पाठ, गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त स्थान दिया गया हो (जहां अनुक्रमण किया जाना संभव न हो) और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेप में दिया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

45. अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह उल्लेख कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और नियमावली, 1995 के नियम 8 के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का एक विवरण, और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचना, कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान की जानी चाहिए।

46. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 37 के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के प्रसारित होने की तारीख से 07 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

47. गोपनीयता के दावे पर नियमावली के नियम 8 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ या पर्याप्त कारण का विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

48. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना का प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसका प्रकटीकरण करने को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

49. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और स्वीकार किए जाने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

50. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध/ उत्तर/ सूचना का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोध/ उत्तर/ सूचना का अगोपनीय पाठ प्रसारित न किए जाने पर हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

51. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से यह अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का

अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोध का अगोपनीय पाठ प्रसारित न किए जाने पर इस जांच शुरुआत अधिसूचना की धारा ण के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

ण. असहयोग

52. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर या बाद में पृथक संचार के माध्यम से प्रदान की गई समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वह उचित समझें।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी